केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली– 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel: 011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179
Website: kvsangathan@nic.in
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

स. 11044/24–5–47/2011/वीपी/जेआर–केविस/स्था.1 / 4764 – 4843 दिनांक– 14 अगस्त–2017
स्पीड पोस्ट

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय संभाग/जिट

विषयः– आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदया/महोदय

इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि कुछ सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में भी कर्मचारियों को एक समय में लगातार 05 से अधिक आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं कर रहे हैं। विशेषकर उन कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के मामले में यह सम्भावना हो सकती है जो दूरस्थ हैं तथा जहाँ से शिक्षकों/कार्मिकों को अपने घर आने जाने के दौरान यात्रा में ही कई दिन लग जाते हैं एंव जिस कार्य के लिये आकस्मिक अवकाश मांगा गया है उसके लिए समय ही नहीं बचता।

इस संदर्भ में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15–06–1998 संख्या 28016/3/98–स्था.(ए) (प्रतिलिपि संलग्न) आपके संज्ञान में लाया जाता है जिस के पैरा–2 के अनुसार सक्षम अधिकारी/कार्यालय प्रमुख असाधारण परिस्थितियों में लगातार 05 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली–1972 में भी है।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी प्राचार्यो को भी यह परिपत्र इस सलाह के साथ जारी करें कि वे कर्मचारी के अनुरोध पर व असाधारण परिस्थितियों में उक्त नियम के परिपेक्ष्य में कर्मचारियों को निरन्तर पांच दिन से अधिक एंव अधिकतम 08 आकस्मिक अवकाश भी प्रदान कर सकते हैं।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि।

(वरूण मित्र)
सहायक आयुक्त (स्थापना–1)

प्रतिलिपि

1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों को जानकारी हेतु प्रेषित।
2 प्रभारी प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, नुब्रा को समस्त शिक्षकों के सम्मिलित प्रतिवेदन के सन्दर्भ में।

सहायक आयुक्त (स्थापना–1)

केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू

फ़. 24029/ के वि सं/ 2016 / जम्मू संभाग दिनांक 21.08.2017

प्राचार्य,
समस्त केंद्रीय विद्यालय, जम्मू संभाग ।

विषय :- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली, का दिनांक 14 अगस्त 2017 का ऊपर उल्लेखित पत्र आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आश्य के साथ प्रेषित किया है की उस पर पूर्णतः अमल किया जाये ।

भवदीय,

(सिरिमला सम्बन्ना)
उपायुक्त

IdC

No. 28016/3/98-Estt.(A)
Ministry of Personnel, PG and Pensions
Department of Personnel & Training

....

New Delhi, dated the 15th June, 1998

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT:- Casual Leave.

*****

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 12/9/94-JCA dated 14.1.1998 and to say that w.e.f. 1.1.1998, Central Government servants are entitled to 8 days casual leave in a calendar year.

2. It is clarified that the entitlement of 8 days casual leave in a calendar year is subject to the condition that not more than 5 days casual leave may be allowed at any one time. The Head of the Office may, however, waive this condition in individual cases if he considers that there are exceptional circumstances justifying relaxation in this regard.

3. In regard to persons who join government service in the middle of a calendar year, the authority competent to grant such leave will have the discretion to grant either the full period of 8 days casual leave or only a proportion thereof, after taking into account all the circumstances of the case.

4. It is further clarified that the operating and maintenance staff etc., who were entitled to 15 days C.L. till 31.12.1997, would be allowed 10 days casual leave in a calendar year w.e.f. 1.1.98 (i.e. reduced by 1/3rd of the total).

5. Sundays or closed holidays which precede a period of casual leave or come at the end may be prefixed or suffixed to such leave. Similarly, public holidays and weekly offs falling within the period of casual leave should not be counted as part of casual leave.

6. The instructions contained in the Ministry of Home Affairs OM No. 6/3/59-Estt(A) dated 23.12.1959 & 20.8.1960 and DPAR OM No. 27/6/73-Estt(B) dated 8.7.74 and 28016/1/77-Estt(A) dated 17.9.77, are hereby rescinded.

7. Hindi version will follow.

Sd/-

(S.C. Sharma)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
TEL. No. 301 4254